रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2002/चैत्र 21, 1924
No. 349] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2002/CHAITRA 21, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2002

का. आ. 415(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरी) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरी) (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरी) नियम, 1995 के नियम 16.2 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा संबद्ध अभिकरण को 21-8-95 से 24-10-96 तक की अवधि के लिए सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात के पोतपर्यन्त मूल्य के 0.075 प्रतिशत की दर पर घटाए गए मानीटरी शुल्क का संदाय किया जाएगा।"

[फा. सं. 6/1/2002-ईआईएंडईपी]
एम. वी. पी. सी. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम का. आ. 730(अ), तारीख 21 अगस्त, 1995 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2002

S.O. 415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of

Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1965, in rule 16.2, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that a reduced monitoring fee at the rate of 0.075% of F.O.B. vaule of export of marine products for the period from 21-8-95 to 24-10-96 shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Agency."

[F. No. 6/1/2002-EI&EP]
M. V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide S.O. 730(E), dated 21st August, 1995 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 21st August, 1995 and these have not been amended so far.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.